शिक्षा का समावेशीकरण : दशा एवं दिशा

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ–226017,उ.प्र.

शोध सारांश

उसी प्रकार समावेशित शिक्षा विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बावजूद उन बालकों को भिन्न देखे जाने के बजाए स्वतंत्र रूप से सीखने में सहयोग करती है। समावेशित शिक्षा सही मायने में शिक्षा का अधिकार जैसे शब्दों का रूपान्तरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों को एक समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। समावेशित शिक्षा समाज के सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है।

Keywords: *शिक्षा ,समावेशीकरण ,समतामूलक शिक्षा ,दशा एवं दिशा*

दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के तौर पर भारत शिक्षा के मोर्चे पर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। राष्ट्र की बुनियाद रखने वालों ने शैक्षिक विकास को पर्याप्त महत्व प्रदान कर जो दूरदर्शिता दिखाई थी, उसका भरपूर लाभ हमें मिला है। शिक्षा का भारत में ऐतिहासिक रूप से विशेष स्थान रहा है। प्राचीन भारत में पुरोहित वर्ग ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करता था, जबकि क्षत्रिय एवं वैश्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जैसे विमान, युद्धकला अथवा व्यापार सीखने के लिए अध्ययन करते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणालियों का उद्देश्य जीविकोपार्जन था। विदेशों से उच्च शिक्षा हेतु आने वाले छात्रों के लिए भी भारत शीर्ष स्थल था। सबसे बड़े शिक्षा केन्द्रों में से एक नालंदा में ज्ञान की सभी शाखाएँ थीं और अपने चरमोत्कर्ष काल में उसमें हजारों छात्र अध्ययनरत थे।

आज देश के हर परिवार, हर समुदाय अपने बच्चों को न केवल अच्छी शिक्षा देना चाहता है बल्कि अच्छी शिक्षा तथा अच्छे स्कूल के सपने भी संजोता है। उसी आधार पर अपने सुनहरे भविष्य की संकल्पना भी करता है। जब वह सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन, सुविधाओं की कमी एव शिक्षकों के अभाव को देखता है, तभी प्राइवेट स्कूलों की ओर भागता है। मगर इनमें से अधिकांश अभिभावकों को उनके सपनों को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंते हैं। वर्तमान समय में समान वातावरण में सभी को समान शिक्षा के अवसर देना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में अगर स्कूल, समाज, कारपोरेट मिलकर समावेशी शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार करें। तभी आशा की किरण जागेगी। अगर प्रतिभावान छात्र के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर होकर ही खुलेंगे तो इसे तो अन्याय ही मानना होगा। देश की विशाल युवा जनसंख्या को उसके भविष्य को ध्यान में रखकर ही शिक्षा सुधारों के लिये सभी प्रकार के शोध, सर्वेक्षण का विश्लेषण करके भविष्य दृष्टि बनानी होगी।

हमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना होगा। शिक्षा में सरकार की बेरूखी हर स्तर पर दिखाई देती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार तो बढ़ा है, लेकिन शिक्षित हो चुके वर्ग का भी यह उत्तरदायित्व है कि वह समाज के वंचित वर्ग, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की सुगम उपलब्धता एवं शिक्षा सुधारों के लिये आगे आये। जागरूक समाज, कारपोरेट एवं शिक्षित वर्ग को ही अब समावेशी शिक्षा के माध्यम से हर बच्चे को शिक्षा रूपी उसका नैसर्गिक अधिकार दिलाना होगा। इसके बिना सर्वांगीण विकास की संकल्पना व्यावहारिकता में केवल सम्पन्न वर्ग का ही हित साधन करती रहेगी, जिससे समाज का बहुत बड़ा वर्ग शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा ही बना रहेगा। समावेशी शिक्षा की संकल्पना से ही हम इस स्थिति को बदलने में समर्थ हो सकते हैं।

समावेशी शिक्षा का अर्थ आम भाषा में लगाएँ तो कहा जा सकता है कि वे लोग जो शारीरिक अक्षमता के कारण समाज का हिस्सा नहीं बन पाते या समाज के विकास में सहायक नहीं हो पाते। व्यक्ति पहले अपना विकास करता है और यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास से ही समाज, और पूरे राष्ट्र का विकास संम्भव है। समावेशी विकास की अवधारणा कुछ इसी विचारधारा से जुड़ी है। जिसमें हम देश–विदेश में विकास की धारा से जुड़ सकते हैं। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ीं हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में उन्नीसवीं शताब्दी से ही समावेशी शिक्षा की जड़ें पाई जाती थीं। जहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए क्रमबद्ध विकास किये गये। वास्तविकता यहाँ तक देखने को मिलती हैं कि मानसिक कमजोर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिये यूरोप ने प्रयास किये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की यदि बात की जाये तो अमेरिका व यूरोप दोनों ने समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया लेकिन यह सत्य है कि महत्वपूर्ण विचार विशिष्ट शिक्षा कि क्षेत्र में यूरोप से अमेरिका गये। हालाँकि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अमेरिका ने भी कई क्षेत्र स्थापित किये। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

1. पूर्णतः समावेशी विद्यालय तथा सामान्य–विशेष शैक्षिक नीतियाँ।
2. छात्रों तथा शिक्षा नीतियों का वर्गीकरण।
3. वैकल्पिक समावेशी कार्यक्रम, विद्यालयी प्रक्रिया और सामाजिक विकास।
4. कानूनी मुद्दे ,शैक्षिक कानून और विकलांगता कानून।
5. संसार में समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन।
6. समावेशी शिक्षा और आवश्यक संसाधन के सिद्धांत।
7. समावेशी कक्षाओं की सामान्य प्रथाएँ।

साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊँचा या नीचा ही क्यों न हो। शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा

बर्ताव करते हैं। अशक्त बच्चों की मित्रता अक्सर सामान्य बच्चों के साथ करवाई जाती है ताकि ऐसे ही समूह समुदाय बनता है। यह दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे बर्ताव से सहयोग की भावना बढती है। शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों क उपयोग करते हैं– समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन। छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना। प्रिय वातावरण का निर्माण करना। बच्चों के लिए लक्ष्य–निर्धारण। अभिभावकों का सहयोग लेना।विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना। विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना। किताबों और गीतों का आदान–प्रदान। सम्बंधित विचारों का कक्षा में आदान–प्रदान।

आज भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा और मकान ही क्यों है। इसमें हम शिक्षा को क्यों नहीं जोड़ सके हैं? यह सब तभी संभव होगा, जब हर व्यक्ति अपने चारों ओर जिम्मेदार व्यक्तियों से परिपूर्ण समाज को ढूँढे और उनके अन्तःकरण में समावेशी शिक्षा के वास्तविक महत्व का बीजारोपण करे। इसे प्रत्येक व्यक्ति अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझे। बाकी काम सरकारी की नीतियाँ स्वतः कर देगी। अगर शिक्षा प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है, वैसे ही शिक्षा को सामाजिक दायित्व से जोड़ना भी हर शिक्षित व्यक्ति का एक मूलभूत कर्तव्य होना चाहिये। शिक्षा को सामाजिक सरोकार के साथ जोड़कर ही हम समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य को धरातल पर विकसित होते देख पायेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सक्सेना, प्रो0 उदय वीर, भारतीय शिक्षा का इतिहास, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2008
2. मित्तल एस0 आर, एकीकृत और समावेशित शिक्षा, कनिष्का प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
3. झा एम0 एस0, समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाएं, एस प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
4. शर्मा डॉ0 विमलेश, समावेशित विशिष्ट शिक्षा, शारदा पुस्तक सदन, नई दिल्ली, 2016
5. चतुर्वेदी शिखा, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ, 2008
6. कर्ण महेन्द्र नारायण–भारत में सामाजिक परिवर्तन, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, जून 2003
7. इग्नू–सामाजीकरण और शिक्षा, ई.एस.ओ. –।।,मद्रित पाठ्यवस्तु, जून 2008
8. शर्मा प्रेमपाल–'शिक्षा में सम्पूर्ण सुधार का इंतजार', दैनिक जागरण,कानपुर 5 जून, 2017